2021
491

न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या 190 /2021

वादी :– देवाराम पुत्र श्री वेनाराम जाति जाट सा० रिड़छोयी

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. सरपंच ग्राम पंचायत गोपड़ी
2. वेनाराम पुत्र वनाराम
3. रवीमाराम पुत्र वेनाराम जाति जाट सा० रिड़छोयी
4. राजस्थान सरकार जरिए तह० पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री वादी स्वय वादी।
2. श्री स्वयं प्रविवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 8/11/21

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 459/356 रकबा 27-09 बीघा, सरहद मौजा रिड़छोयी, तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादी नाबालिंग होने से बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम पान्चाराम होने से राजस्व रेकर्ड में पान्चाराम नाम दर्ज किया गया । जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस एवं स्कूल रेकर्ड में वादी का सही नाम देवाराम दर्ज है जिससे वादी को बैंक से ऋण लेने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज पान्चाराम के स्थान पर देवाराम सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:14:23 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर

प्रतिवादीगण संख्या 1 की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम पांचाराम पुत्र बेनाराम के स्थान पर हेमाराम पुत्र बेनाराम दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच सहायक प्रभारी अधिकारी पचपदरा तहसीलदार से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा न0 459/356 रकबा 27-09 बीघा .... सरहद मौज़ा रिछोली तहसीलदार पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड प्यार का नाम पांचाराम दर्ज किया गया । वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत रिछोली एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम पांचाराम दर्ज किया गया है वादी का सही नाम हेमाराम पुत्र बेनाराम है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा मजमें आम में की जांच रिपोर्ट के आधार खेत खसरा नं 459/356 रकबा 27-09 बीघा, वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम पांचाराम के स्थान पर हेमाराम पुत्र बेनाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 8/11/21 को शिविर ... में मजमें आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:14:23 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

डिकरी व मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
केम्प कोर्ट..........................

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
देवाराम पुत्र श्री बेनाराम जाट सा॰ सिलोणी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1. सरपंच ग्राम पंचायत गोपडी 2. बेनाराम पुत्र वनाराम 3. खीमाराम पुत्र बेनाराम जाट॰ सिलोणी राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ......स्वंय.......... ..वादी स्वंय मिनजानिब श्री ...सरपंच ग्रा॰प॰ गोपडी... पैरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं ......459/356......रकबा ......27-09...... बीघा, सरहद मौजा ....सिलोणी ....

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......पांचाराम...... पुत्र ......बेनाराम...... के स्थान पर ......देवाराम...... पुत्र ......बेनाराम.. खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।
बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......8/11/21...... को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:14:23 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपया	पै.	मुददायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीपाबा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		